श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, माननीय उद्योग मंत्री के साथ दिनांक **10** मार्च **2021** को आयोजित बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित प्रमुख बिन्दुएं

1. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत उद्योगों को मिलनेवाले सब्सिडी, प्रोत्साहन एवं प्रतिपूर्ति में **उद्योग विभाग द्वारा 'सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन की शर्तें लगा दिए जाने के कारण औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों की आर्थिक व्यवस्था व्यवहार्यता दांव पर लग गई है ।** न्यायालय के निर्णय के बावजूद अभी तक उद्योग विभाग की ओर से पीड़ित इकाईयों के होल्ड–अप सब्सिडी/प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ।

2. राज्य में उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की Mid term समीक्षा उपरांत कुछ संशोधन GST प्रतिपूर्ति के लिए किया हैं जिसका हम स्वागत करते हैं।

   जुलाई 2017 से देश में GST लागु होने के उपरांत वैट प्रतिपूर्ति के स्थान पर GST प्रतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा जनवरी 2020 में नीति निर्धारित होने के बावजुद भी इससे संबंधित दावों का भुगतान अभी तक बाकी है ।

   हमारा सरकार से सुझाव होगा कि जीएसटी प्रतिपूर्ति से संबंधित सभी दावों का भुगतान यथाशीघ्र किए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

3. GST प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया जटिल होने के कारण उद्यमियों को जीएसटी प्रातिपूर्ति में काफी कठिनाईयॉ हो रही है ।

   जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य जीएसटी का निर्धारित प्रतिशत दिया जाता है । **हमारा सुझाव होगा कि जीएसटी प्रतिपूर्ति के बजाय उत्पादित माल की बिक्री का एक निश्चित प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में देने पर विचार करना चाहिए ।**

4. उद्यमियों के प्रोत्साहन राशि से संबंधित जो भी लंबित मामले हैं उनका निपटारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाए क्योंकि इससे राज्य के उद्यमियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

5. **उद्योग के भूमि के संबंध में :–**

   i. विगत कुछ वर्षो में राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के अपने भूखंड के MVR का पुनर्रीक्षण करते हुए भूखंड की दरें निर्धारित की है । औद्योगिक भूखंड के

क्रमश:.....2

लिए अलग से कोई MVR का दर निर्धारित नहीं है । **उक्त परिपेक्ष में हमारा सुझाव है कि औद्योगिक भूखंड का अलग वर्गीकरण करते हुए अलग MVR का निर्धारण हो जो कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारित MVR के आस–पास हो ।**

ii. बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :–

– भूमि बैकों की स्थापना किया जाए ।

– बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे ।

– ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना किया जाए ।

– औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जगह–जगह पर इलाकों की चिन्हित कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगा जिससे कि Promoter एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें ।

– नई औद्योगिक इकाईयॉ यदि अपनी आवश्यकता का 50% या 60% या 70% से अधिक जमीन की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेती हैं तो बाकी बचे जमीन हेतु बगल में यदि गैर–मजरूआ जमीन हो तो उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है । यदि जमीन की और आवश्यकता शेष रह जाती है तो उसे भी सरकार बाजार दर पर जमीन अधिग्रहण कर उद्यमी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है ।

6. **<u>BIADA के संबंध में</u>**

(i) BIADA की ओर से पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक भूमि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है एवं औद्योगिकरण में भी कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया गया है परन्तु **औद्योगिक भूमि जो कि पटना के आसपास है उनका रद्द करना, उद्यमियों को परेशान करना इन्हीं सब मे अपना समय लगा रहा है ।** इसके कारण उद्यमियों का BIADA के प्रति जो आत्मविश्वास था उसका घोर अभाव व्याप्त हो गया है ।

यहॉ यह बताना उचित होगा कि BIADA ने जब भी जो भी जमीन का आवंटन किया है उसे Market Value की दर पर दिया है एवं उद्यमियों से उसकी कीमत भी लिया है ।

क्रमश:.....3

अत: BIADA को चाहिए कि आवंटियों को नये–नये विवादों के माध्यम से परेशान न करके **जिस जमीन की पूरी कीमत ले लिया है उस जमीन को Free Hold में Convert किया जाना चाहिए ।** बिहार राज्य आवास बोर्ड ने लीज पर दिए गए जमीनों को (MVR) सर्किल रेट का 10% राशि लेकर Free Hold किया है । इसी प्रकार से BIADA द्वारा भी लीज होल्डर की आवंटित भूमि को Free Hold किया जाना चाहिए । इस तरह का प्रावधान कई राज्यों में पहले से है ।

राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए बियाडा द्वारा जो जमीन का आवंटन किया जाता है उसका Rate कम किया जाना चाहिए । इसकी दर कृषि क्षेत्र की भूमि से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ii) औद्योगिक क्षेत्र में केवल विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन किया जाता है । हमारा अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा परिभाषित जो भी उपक्रम एमएसएमई सेक्टर में आते हैं यथा – होस्पिटल, आई.टी.पार्क, होटल, वेयर हाउसिंग आदि के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित किया जाना चाहिए ।

(iii) कुछ औद्योगिक एरिया में Effluent Treatment Plant (ETP) स्थापना की बात हो रही है परन्तु औद्योगिक एरिया में बरसात के पानी के निकासी हेतु Drainage System ही नहीं है । Effluent कैसे ETP तक ले जाएंगे । अत: ETP की स्थापना के पहले पानी के निकासी की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए ।

(iv) जमीन के अधिकतम उपयोग हेतु बियाडा के हस्तांतरण (Transfer) की नीति को सुविधाजनक बनाना चाहिए एवं समयबद्ध अनुमति दी जानी चाहिए ।

7. **<u>राज्य सरकार तथा इसके विभिन्न उपक्रमों में होनेवाली खरीद में स्थानीय उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के संबंध में :–</u>**

राज्य में उत्पादित सामग्रियों की सरकार के साथ–साथ सरकर के उपक्रम, सरकार द्वारा गठित एजेंसी सबसे बड़े खरीददार होते हैं । स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर सामग्री खरीद अधिमानता नीति बनायी जाती रही है । हमारा सुझाव होगा कि इकाई के L1 नहीं रहने पर भी स्थायी इकाईयों को L1+ 10% अधिकता के मूल पर कम से कम 30% मात्रा स्थानीय इकाईयों से लिए जाने का प्रावधान करना चाहिए ।

साथ ही साथ स्थानीय इकाइयों को सरकार द्वारा घोषित सामग्री खरीद अधिमानता नीति का लाभ स्थानीय उद्यमियों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय उद्योगों को रोकने के लिए निविदा में

क्रमश:.....4

अनुभव एवं टर्नओवर की शर्त्तें लगा दी जाती है जिससे स्थानीय उद्योग वंचित रह जाते हैं । अत: यदि कोई विभाग द्वारा सरकार की खरीद नीति का पालन नहीं किया जाता है तो दण्ड का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है ।

8. <u>बैंकों का नकारात्मक रवैया:–</u>

(i) राज्य में निजी व्यापारिक अथवा राष्ट्रीयकृत बैक ऋण देने में काफी उदासीन भावना रखते हैं क्योंकि उनको ऐसी आशंका रहती है कि राज्य में अवस्थित किसी भी उद्योग को दिये जाने वाला ऋण का वापस भुगतान प्राप्त नही होगा। इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। राज्य में स्थित बैंक सिर्फ जमा एकत्र करने के केन्द्र के रूप मे विकसित हो रहे हैं, उन्हे राज्यहित में ऋण देने के कार्य में कोई दिलचस्पी नही है ।

राज्य में जमा धनराशि का प्रयोग इन बैकों द्वारा अन्य राज्यों में ऋण देने में किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप, राज्य में CD Ratio राष्ट्रीय औसत से काफी कम है । सरकार को रिजर्व बैक अथवा अन्य माध्यम से इन बैकों पर दबाव बढ़ाकर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहिए, और असहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले बैंकों को सरकारी जमा से वंचित किया जाना चाहिए ।

(ii) 20 से अधिक पब्लिक सेक्टर बैंक होने के बावजूद एक भी बैंक का हेड क्वार्टर बिहार में स्थित नहीं होने के कारण भी बैंकों से ऋण मिलने में कठिनाई होती है अत: इस संबंध में सरकार के स्तर पर वार्ता कर कम–से–कम एक पब्लिक सेक्टर बैंक का हेट क्वार्टर बिहार में रखने का आग्रह किया जाना चाहिए ।

9. <u>चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार किये जाने हेतु निवेदन</u>

बिहार के सीमांचल जिलों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती हो रही है । इसलिए चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति होनी चाहिए ।

10. <u>विद्युत संबंधित</u>

विगत् वर्षों में राज्य में विद्युत की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है और अब विद्युत ना रहने की वजह से उद्योग एवं व्यापार को हो रही दिक्कतों में काफी हद तक कमी आयी है। जिसके लिए हम सरकार के प्रयासों की भूरी–भूरी सराहना करते है।

लेकिन हमारे राज्य में वर्त्तमान में लागू विद्युत दर काफी अधिक है और पड़ोसी राज्यों यथा झारखंड एवं बंगाल से तुलना की जाए तो यह दर 1½ से 2 गुणा अधिक होती है। उँची बिजली की दर की वजह से राज्य में अवस्थित उद्योगों की उत्पादन लागत पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा अधिक आती है और इस वजह से पड़ोसी राज्यों से आकर उत्पाद बिहार में बिक रहा है एवं राज्य के उद्योग बंदी की कगार पर आ रहे है।

क्रमश:.....5

इस संदर्भ में हमारा सरकार से सुझाव एवं आग्रह है कि बिजली की दर को पूर्णनिर्धारण करके पड़ोसी राज्यों के समकक्ष किया जाये अथवा उद्योगों को सब्सीडी के रूप में सहयोग राशि दी जानी चाहिए ताकि उद्योगों को बचाया जा सके।

उद्योगों को Level Playing Field देने के लिए One nation one tariff की भी बात हो रही है । इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि इसे तुरन्त लागू किया जाए या बिहार सरकार Subsidise करके बिजली की दरों को पड़ोसी राज्य के बराबर करे ।

11. **सोलर पावर के प्रश्रय हेतु सब्सिडी**

सरकार ने राज्य में सरकारी, गैर–सरकारी अथवा निजी भवनों के छत पर सोलर पैनल लगाकर उर्जा के वैक्लपिक श्रोत के रूप में अत्यधिक बढ़ावा देने हेतु लागत की 55% सब्सिडी अनुदान के रूप में देने की योजना लागु की थी।

हमारा सुझाव होगा कि उक्त योजना को लागू रखना चाहिए और इसका अत्यधिक प्रचार–प्रसार करने की भी जरूरत है ताकि लोग योजना का लाभ उठा सके।

12. **पर्यटन संबंधित**

(i) हमारे राज्य में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के श्रद्धालुओं की रूचि को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने की नितान्त आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में विशेष प्रयास करना चाहिए। सरकार ने प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर जिस तरह की व्यवस्था एवं भागीदारी की थी वो पूरे देश भर में सिख श्रद्धालुओं द्वारा सराही गयी थी और काफी संख्या में श्रद्धालुगण पटना अथवा राजगीर पधारे थे।

2020 -21 के केन्द्रीय बजट में केन्द्र सरकार ने देश के पांच जगहों का Iconic Tourist Spot के रूप में चयन किया है । दुर्भाग्यवश बिहार के किसी पर्यटन स्थल को उसमें शामिल नही किया गया है। अत: आपसे अनुरोध है कि बिहार के निम्नलिखित स्थलों यथा पावापुरी, काकोलत, बिक्रमशिला भागलपुर गया, नंदनगढ़, लौरिया बेतिया, केसरिया, बराबर की गुफा, सीतामढ़ी को भी पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाना चाहिए।

(ii) बिहार में काफी संख्या में असम, नेपाल, भूटान, सिक्कम आदि से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं । अत: इस क्षेत्र के और विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिससे कि **राज्य में मेडिकल टूरीज्म का समुचित विकास हो सके ।**

क्रमश:.....6

13. <u>पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित सुझाव</u>

(i) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के औद्योगिक इकाईयों से संबंधित यदि कोई नया प्रावधान लाया जाता है तो उसके कार्यान्वयन के पूर्व उद्यमियों को अच्छी तरह से Awareness Programme आयोजित कर जानकारी दिया जाना चाहिए क्योंकि अधिकतर उद्यमी कम पढ़े–लिखें हैं और उन्हें बहुत से कानूनों की जानकारी नहीं होती है ।

(ii) यदि कोई उद्योग द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया जाता है और किसी कारणवश वह आवेदन रद्द हो जाता है तो पुनः आवेदन करने पर पर्षद की ओर से फिर से निर्धारित शुल्क जमा कराने को कहा जाता है । जबकि उद्यमी की ओर से पहले ही आवेदन शुल्क जमा किया जा चुका है । एक ही कार्य के लिए दो बार शुल्क की मांग करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है ।

(iii) बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा राज्य के उद्योगों से संबंधित विभिन्न समाचार–पत्रों में जो विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है वह धमकी भरा होता है जिससे राज्य के उद्यमियों में भय व्याप्त हो जाता है और हत्तोत्साहित होते हैं अतः इस प्रकार के विज्ञापन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए ।

(iv) वर्तमान में चालू उद्योगों को National Green Tribunal (NGT) आदि जैसे किसी संगठन द्वारा तैयार किए गए नए मानदंड/विनियमन को लागू कर परेशान नहीं किया जाना चाहिए यदि वह इकाई बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सहमति/मंजूरी के बाद चल रही है । यदि नए मानदंड बनाए जाते हैं तो उसे नई इकाइयों पर ही लागू किया जाना चाहिए पुराने इकाईयों पर नहीं ।

14. <u>अन्य मामले</u>

<u>औद्योगिक विकास निधि का गठन</u>

(i) राज्य में अवस्थित कार्यरत एवं नवीन उद्योगों के विकास हेतु सरकार को हमारा सुझाव है कि राज्य में एक औद्योगिक विकास निधि का गठन किया जाए । इस निधि के फंड का उपयोग राज्य में उद्योगो के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास, सीड पूंजी की उपलब्धता, कार्यरत उद्योगों के उन्नयन, रूग्ण एवं Bankruptcy के तहत आए MSME उद्योगों को पुर्नजीवित करने हेतु किया जाना चाहिए ।

क्रमशः.....7

इस निधि का गठन 1000 करोड़ रूपये के आरंभिक शुरूआत के साथ किया जाना चाहिए एवं उसके उपरान्त प्रत्येक वर्ष 250 करोड़ रूपये की राशि की वृद्धि की जानी चाहिए ।

(ii) उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद ने लॉकडाउन के कारण कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों पर पड़नेवाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए श्रम अधिनियमों में 3 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है अतः उत्तर प्रदेश की भांति बिहार में भी इसे लागू किया जाना चाहिए जिससे कि राज्य के उद्यमियों को कुछ राहत मिल सके ।

(iiii) उद्योग की स्थापना, विकास एवं उन्नति के लिए पूंजी का होना अति आवश्यक है । पूंजी चाहे Term Loan हो, Working Capital हो या अन्य वित्तीय सुविधाएं हो, सभी बैंकों द्वारा ही दिया जाता है । बैंकों से ऋण के लिए उनके साथ Agreement/ Hypothecation /Mortgage document बनाया जाता है । 1 अगस्त 2012 के पूर्व बैंक से Loan document पर Hypothecation चार्ज 290/- रूपया प्रति हजार लगता था यानि यदि बैंक से कोई 10 करोड़ का ऋण लेता था तो उसे 2,90,000/- Stamp Duty लगता था ।

सरकार ने इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बिहार गजट नोटिफिकेशन न० 1/M-148/2011-1959 दिनांक 01.08.2012 के द्वारा Hypothecation के मामले में अधिकतम एक मुश्त 5000/- तथा Mortgage के मामले में एक मुश्त अधिकतम 20,000/- दिनांक 01.08.2012 से किया गया । लेकिन पुनः 21.07.2016 के प्रभाव से बिहार गजट नोटिफिकेशन संख्या 10/MO-Vividh-36/2016-3428 के द्वारा Hypothecation के मामले में बढ़ाकर 10 करोड़ तक के लिए 1,00,000/-, 10-50 करोड़ तक के लिए 3,00,000/- एवं 50 करोड़ से उपर के लिए 5,00,000/- निर्धारित किया गया है जो कि 21.07.2016 के पूर्व 5000/- था । अतः अनुरोध है कि Hypothecation charge को पूर्व की भांति किया जाना चाहिए ।

(iv) <u>खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उत्पाद के निर्यात हेतु संस्था का गठन</u>

हमारा राज्य उपजाउ भूमि एवं मेहनतशील श्रम उपलब्ध रहने की वजह से खेती पर विशेष आश्रित है और इसके विकास की अपार संभावनाएँ भी विद्यमान है।

राज्य में फल, सब्जी, खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उत्पादों का निर्यात करके अर्थव्यवस्था में काफी योगदान प्राप्त किया जा सकता है।

इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि **राज्य में निर्यात की सुविधा प्रदान करने हेतु एक सहयोग संस्था का गठन किया जाये** ताकि जरूरतमंद लोगों को उनके उत्पादों के निर्यात हेतु आवश्यक जानकारी एवं सुविधा प्रदान की जा सके। इस संस्था की शाखाएँ क्षेत्रवार स्थापित की जानी चाहिए ताकि लोगों को अपने स्थान के नजदीक में ही सुविधा उपलब्ध हो सके।

क्रमशः.....8

(v) **बिहार में उद्योगों के विस्तार हेतु विभिन्न MSME के कलस्टर की संभावना के विकास पर विचार करना चाहिए :–**

(a) एलईडी बल्व कलस्टर– पटनासिटी

(b) वर्तन कलस्टर– परेव/भोजपुर

(c) पावरलुम कलस्टर– मानपुर, गया

(d) मोल्डिंग इण्डस्ट्री– नवादा

(e) कालीन हस्तकला उद्योग– ओबरा

(f) सिल्क–तसर कपड़ा हस्तकला उद्योग– कादिरगंज (नवादा)

(g) कॉटन कपड़ा हस्तकला उद्योग– सिगोरी (पालीगंल, पटना)

(h) बिहार के विभिन्न स्थानों पर चमड़ा (Leather), रेडीमेड गार्मेन्ट एवं अन्य स्थानीय उत्पादों का कलस्टर बनाया जाना चाहिए ।

(vi) उद्योग विभाग की ओर से **राज्य में उद्योगों के विकास हेतु कुछ अधिकारियों को आगामी 3 से 5 साल की अवधि के लिए एक निश्चित राशि का MSME में निवेश लाने हेतु Target दिया जाना चाहिए** एवं इसकी प्रगति का आकलन समय–समय पर किया जाना चाहिए । उद्योग विभाग के पदाधिकारियों को उद्योगों का Regulator के रूप में कार्य न करके उसके एसोसिएट के रूप में कार्य करना चाहिए ।

****

पटना
<u>दिनांक : **10 मार्च 2021**</u>